



पुलिस आदेश संख्या 258/94

सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं आरक्षी निरीक्षक को पंजी के पदाधिकारियों को मोटर वाहन कि द्रव्य करने की अनुमति एवं तत्पर्यन्त स्तर भत्ता स्वोक्त करने के सम्बन्ध में।

700/318

5-6-96

सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं आरक्षी निरीक्षक को पंजी के पदाधिकारियों को मोटर वाहन कि द्रव्य करने की अनुमति एवं तत्पर्यन्त स्तर भत्ता स्वोक्त करने के सम्बन्ध में।

उक्त जापानों द्वारा निर्गत आदेशों का पुनः बिहार सरकार के लेख द्वारा नियमावली में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत में सम्यक परीक्षण किया गया। पूर्णतया पर्याप्तता य प्रमाणित किया गया कि सहायक अवर निरीक्षक एवं अवर निरीक्षक के स्तर के पदाधिकारियों को आरक्षी उप-महानिरीक्षक के स्तर के पदाधिकारी तथा आरक्षी निरीक्षक के स्तर के पदाधिकारियों को आरक्षी महानिरीक्षक एवं आरक्षी महा-निरीक्षक, बिहार, मोटर गाड़ी द्रव्य करने की अनुमति एवं तत्पर्यन्त भत्ता को स्वोक्ति प्रदान करने हेतु सभ्य पदाधिकारी होंगे।

2- इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश एक संशोधित समझे जायेंगे।

यह आदेश निर्गत तिथि से प्रभावी समझा जायेगा।

Handwritten signatures and notes on the left side of the page.

हस्ताक्षर / एसओ के मुख्यालय।

महानिरीक्षक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना।

जापान संख्या 2123/96
दिनांक 19-5-94

महानिरीक्षक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार।
पटना, दिनांक // सं. 86

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, महानिरीक्षक विभाग, बिहार को तत् कार्यालय के जापान संख्या 3868/96 दिनांक 16-9-94 के क्रम में सूचनाएं।
- 2- सभी आरक्षी अधीक्षक रेल पुलिस सहित/समादेष्टा/पुनर्चर्चा को सूचनाएं एवं आवश्यक क्रियाएं प्रेषित।
- 3- सभी प्रदेसाय आरक्षी महानिरीक्षक/देसाय आरक्षी उप-महानिरीक्षक रेल स सभी आरक्षी उप-महानिरीक्षक, एसओ को सूचनाएं एवं आवश्यक क्रियाएं प्रेषित।
- 4- महानिरीक्षक, सशस्त्र बल, बिहार, पटना को सूचनाएं।
- 5- आरक्षी उप-महानिरीक्षक, अपर एसओ विभाग/निरीक्षक कार्यालय, बिहार को सूचनाएं आवश्यक क्रियाएं।
- 6- सहायक श्री जनरल सचिव, पी.पी. अफिस को दो प्रतिलिपि पुलिस आदेश को पंजी में रखने हेतु अग्रपारित।

18/6/96

आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक कार्यालय, बिहार, पटना।

Handwritten signature at the bottom left.